 A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
85 / प्रा.पत्र / 2015	15.07.2015	22.10.2019

1. हरिनारायण आ. श्री जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम बंजारी बावडी तहसील नैनवां, जिला बून्दी। – प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती रामनाथी बाई पत्नी मोती जाति मीणा निवासी ग्राम बंजारी बावडी तहसील नैनवां, जिला बून्दी।
2. आवंटन परामर्शदात्री जरिये उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी। – अप्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 आवंटन दिनांक 07.07.1999 निरस्त करने बाबत्।

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से – श्री नवेद केसर, अभिभाषक।
अप्रार्थीया की ओर से – श्री प्रमोद कुमार सैन, अभिभाषक।

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अप्रार्थीया रामनाथी पत्नी मोती जाति मीणा निवासी बंजारी बावडी को कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन खसरा नं. 916 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम पडी पडाप को निरस्त करवाने हेतु इस न्यायालय में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीया व अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली तलब की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दोरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 07.07.1999 को भूमि खसरा नं. 916 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम बडी पडाप तहसील नैनवां को अप्रार्थीया श्रीमती रामनाथी को किया गया है। जो निरस्तनीय है। आवंटी द्वारा निराधार व असत्य तथ्य बताकर उक्त भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन कराया गया। आवंटी भूमिहीन कृषक नहीं है। आवंटी का आवंटन समय कब्जा नहीं था न ही आवंटन के पश्चात् कब्जा है। आवंटित भूमि पर प्रार्थी के पिता स्वर्गीय जगन्नाथ के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवंटित भूमि प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की भूमि के समीप है। जो मौके पर स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नं. 909 व 918 में एक ही चक के रूप में है। आवंटी द्वारा आज दिनांक तक कोई काश्त नहीं की है। आवंटन परामर्शदात्री समिति ने आवंटन से पूर्व

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A 6/2

कोई भूमिहीन काश्तकारों की सूची नहीं बनाई है ना ही आवंटन नियमों की पालना की है। आवंटी को आवंटित भूमि पर करीब 03 वर्ष बाद दखलनामा दिनांक 30.07.2002 को दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीया को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थीया के अभिभाषक ने बहस के दौरान अपने जवाब को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थीया को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 07.07.1999 को बाद जॉच नियमानुसार आवंटन किया गया है। आवंटन के पश्चात् अप्रार्थीया को मौके पर कब्जा संभलाया है। अप्रार्थीया का ही मौके पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी व उसके पिता का मौके पर आवंटन से पूर्व व आवंटन के पश्चात् कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थी ने आवंटन से पूर्व एवं आवंटन के पश्चात् कब्जा काश्त बाबत् कोई दस्तावेज राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किये है। जिससे प्रार्थी का कब्जा काश्त साबित होता हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज योग्य है। अप्रार्थीया के पक्ष में आवंटित भूमि का आवंटन के संबंध में न्यायोचित आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीया को दिनांक 07.07.1999 को ग्राम बडी पडाप में कृषि प्रयोजनार्थ खसरा नं. 916 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा भूमि का पूर्ण कोरम में आवंटन किया गया है। आवंटन के पश्चात् आवंटी को दिनांक 30.07.2002 को पटवारी द्वारा दो गवाहान के समक्ष मौके पर दखल दिया गया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि आवंटी भूमिहीन न होकर उसके पास नोशनल शेयर्स से प्राप्त 08 बीघा 05 बिस्वा भूमि है तथा आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। पूर्व में प्रार्थी के पिता जगन्नाथ का कब्जा काश्त था। जगन्नाथ की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। पटवारी रिपोर्ट आवेदन पत्र आवंटन पर अप्रार्थीया के हिस्से में 08 बीघा 05 बिस्वा भूमि है। जिसके अनुसार अप्रार्थीया भूमिहीन कृषक है तथा प्रार्थी ने उसके कब्जे काश्त होने बाबत् कोई राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया है जिससे उसका कब्जा काश्त साबित होता हो। अप्रार्थीया को आवंटित भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा बाद जांच पूर्ण कोरम में आवंटन किया गया है तथा आवंटन के पश्चात् मौके पर दखल दिया गया है। अप्रार्थीया को सम्पूर्ण कोरम में विधिपूर्ण तरीके से आवंटन किया जाकर दखल दिया गया है। जिसमें कोई विधिक दोष होना प्रमाणित नहीं होता है। आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना भी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थीया को किया गया आवंटन दिनांक 07.07.1999 यथावत रखा जाता है। पत्रावली नियमानुसार फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)